

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

सं० संख्या—09/निधि (मशीन एवं उपकरण) 01—09/2026

45(5) June A

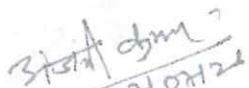
पटना, दिनांक — 7/7/2026

सेवा में, कार्यपालक अभियंता/ अवर सचिव, (लेखा)
पथ निर्माण विभाग। (यथा पार पृष्ठ विवरणी)

विषय :— स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के मुख्य शीर्ष—3054 सड़क तथा सेतु उप मुख्य शीर्ष—03 राजकीय राजमार्ग, लघु शीर्ष—052 मशीनरी तथा उपस्कर, माँग सं०—41, उपशीर्ष — 0001 मशीनें और उपकरण, विषय शीर्ष—0001.52.01 मशीने एवं उपस्कर मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026—27 में निधि का आवंटन।

आदेश:— वित्तीय वर्ष 2026—27 में संलग्न विवरणी के स्तम्भ—2 में अंकित प्रमंडल/ कार्यालय को स्तम्भ—6 में अंकित माँग—पत्र के आलोक में स्तम्भ—4 में अंकित राशि के अनुसार कुल **₹15,50,000/-** (पन्द्रह लाख पचास हजार रुपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

- 2 यह व्यय मुख्य शीर्ष — 3054 सड़क तथा सेतु उप मुख्य शीर्ष— 03 राजकीय राजमार्ग, लघु शीर्ष — 052 मशीनरी तथा उपस्कर, माँग सं०—41, उपशीर्ष — 0001 मशीनें और उपकरण, विषय शीर्ष— 0001.52.01 मशीने एवं उपस्कर मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय है। इस राशि से संबंधित विपत्र कोड संख्या— 41-3054030520001 है।
- 3 आवंटित राशि का वहन 2026—27 में पथ निर्माण विभाग के लिए इस मद में बजट उपबंधित राशि से किया जायेगा।
- 4 यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०—2561/ वि०(2) दि०—17.04.1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों तथा पत्रांक—236/वि०, दिनांक—09.03.2026 एवं 314/वि०, दिनांक—01.04.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- 5 कुल आवंटित राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में निश्चित रूप से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध कराते हुए मद्दार/कार्यवार मिलान कराया जाय तथा मिलान की एक प्रति विभाग में निश्चित रूप से समर्पित किया जाय।
- 6 यह व्यय प्रशासनिक/ प्रावैधिक स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए तथा इस राशि से क्रय आदि समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में ही सुनिश्चित किया जाए।
- 7 खर्च को आवंटित राशि तक सीमित रखा जाय तथा किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक खर्च नहीं किया जाय तथा किसी तरह के अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। बकाये राशि की शुद्धता एवं देयता की जाँच निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने स्तर से कर लेंगे एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेंगे। किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार समझे जायेंगे।
- 8 विगत वित्तीय वर्षों की स्वीकृत एवं एकरारनामित योजनाओं, जिनके विरुद्ध कार्य का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाना है, के संबंध में आवश्यक स्पील ओभर की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- 9 आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
- 10 यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026—27 में नहीं हो सके तो बचत की राशि का प्रत्यार्पण दिनांक—15.02.2027 तक अवश्य कर दिया जाय।
- 11 प्रस्ताव पर सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
- 12 इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।


(अंजनी कुमार)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



प्रतिलिपि- आवंटन विवरणी सहित महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) पटना / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सचिव, कोषांग, प०नि० पटना/ अभियंता प्रमुख कोषांग, प०नि०वि०, पटना/ संयुक्त सचिव (प्र०को०), प०नि०वि०, पटना / मुख्य अभियंता (बजट योजना) प०नि०वि०, पटना / कार्यपालक अभियंता, (बजट-1) प०नि०वि०, पटना/ अवर सचिव (बजट) प०नि०वि०, पटना, प्रशाखा पदाधिकारी-9, प०नि०वि०, पटना / अधीक्षण अभियंता (अनु०), प०नि०वि०, पटना (फैक्स एवं ई-मेल हेतु) / आ: मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

सं० संख्या-09/निधि (मशीन एवं उपकरण) 01-09/2026

45(3)meA

पटना, दिनांक - 7/7/2026

क्रम सं०	कार्यालय / प्रमंडलों का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति पत्रांक / दिनांक के आलोक में
1	2	3	4	5	6
1	कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), सड़क सुरक्षा, यांत्रिक प्रमंडल, पटना	0	7,50,000	7,50,000	CE (Mech) 215/08.06.2026
2	कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना	0	50,000	50,000	EE/ 1267/02.06.2026
3	अवर सचिव (लेखा) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	5,00,000	4,00,000	9,00,000	US/ 4055 (S) / 10.06.2026 विभागीय पत्रांक-5282 (ई०) दिनांक- 11.08.2025 का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय।
4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ।	0	50,000	50,000	EE/ 885/16.05.2026
5	कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ।	0	1,50,000	1,50,000	EE/ 616/16.06.2026
6	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रोसड़ा	0	1,00,000	1,00,000	EE/ 929/19.06.2026
7	कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, समस्तीपुर	0	50,000	50,000	EE/ 620/17.06.2026
कुल योग		5,00,000	15,50,000	20,50,000	

वर्तमान आवंटन शब्दों में (पन्द्रह लाख पचास हजार रुपये) मात्र।

(अंजनी कुमार)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।